भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 909

उत्तर देने की तारीख : 17.09.2020

एमएसएमई सेक्टर हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता

909. श्रीमती गीताबेन वी. राठवाः
श्री नायब सिंह सैनीः
श्री जॉन बर्लाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ''इन्टरेस्ट सबवेन्शन स्कीम'' के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर में कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु संशोधन के माध्यम से योजना में प्रावधान जोड़े हैं;

(ख) उन एमएसएमई उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त योजना के तहत और प्रोत्साहन दिये जाते हैं;

(ग) एमएसएमई सेक्टर हेतु उपरोक्त योजना के तहत कवरेज एवं सुलभता बढ़ाने हेतु किये गये प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एमएसएमई सेक्टर में योजना के तहत हरियाणा में लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने तथा उसकी पहुंच का विस्तार करने संबंधी पहल के भाग के रूप में 2 नवम्बर, 2018 को ''एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज में छूट संबंधी योजना की घोषणा की। इस योजना में सभी एमएसएमई के लिए 100 लाख रुपए तक के नए और वृद्धिपरक ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज में छूट की पेशकश की गई है। इस योजना का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर ऋण प्राप्त करने के जरिए एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्यमों (व्यापार कार्यकलापों से जुड़े उद्यम सहित) दोनों को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना है।

(ग) : कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) तथा आरबीआई पंजीकृत तथा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी को एमएसएमई के लिए ब्याज में छूट संबंधी स्कीम के अंतर्गत पात्र संस्थान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कवरेज का विस्तार करने हेतु एमएसएमई के अंतर्गत कवर किए गए विनिर्माण और सेवा उद्यमों के अलावा व्यापारिक उद्यमों को भी ब्याज में छूट संबंधी स्कीम में शामिल किया गया है। दिसम्बर, 2019 में इस स्कीम में आशोधन भी किया गया है तथा एमएसएमई तक लाभ का विस्तार करने के लिए पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों के लिए उसे अधिक सरल बना दिया गया है।

(घ) : इस योजना से हरियाणा राज्य में 45,404 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा में उपर्युक्त इकाइयों को 1354 करोड़ रुपए की ऋण राशि में से 12.09.2020 तक 27.08 करोड़ रुपए की कुल राशि निर्मुक्त की गई है।

*****